POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 02.05.2025

1.सीआरटी/स्वाट-2 व थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मोबाइल टॉवर के आरआरयू, बैटरी व अन्य सामान चोरी करने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 35 आरआरयू (कीमत करीब 3.5 करोड़), चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण, घटना में प्रयुक्त कार व 4850 रुपये नकद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.05.2025 को सीआरटी/स्वाट-2 व थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैटरी व अन्य सामान को चोरी करने वाले 08 अभियुक्त 1.सलीम मलिक पुत्र शब्बीर मलिक 2.अब्बास मलिक उर्फ बाशू पुत्र अलीहसन 3.सुहैल कुरैशी पुत्र शानू 4.शहनवाज उर्फ सोनू पुत्र जफर 5.शानू मलिक पुत्र शब्बीर मलिक 6.शानू पुत्र इमामूद्दीन 7.इमरान मलिक पुत्र रहीशुद्दीन 8.सलमान कुरैशी पुत्र गफ्फार कुरैशी को मकौडा पुलिया के पास थाना सूरजपुर क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 35 आरआरयू (कीमत करीब 3.5 करोड़), चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण (एक बडी सडासी, एक लाल टूल बॉक्स व तीन पाना), घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार रजिस्ट्रेशन नं0 डीएल 9 सी.ए.जी 6113 व 4850 रुपये नकद बरामद किये गये है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोग मिलकर करीब 01 वर्ष से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में कई स्थानों पर मोबाइल टॉवरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर रहे थे। मोबाइल टॉवर से चोरी के सामान को हम लोग दिल्ली व मुरादनगर में बेचते थे। अभियुक्तगण दिन के समय मोबाइल टॉवर को चिन्हित कर लेते थे, रात्रि के समय चिन्हित किये गये टॉवर पर पहुंच जाते थे और मोबाइल टॉवर पर चढ़कर औजारो की मदद से उसमें लगे रेडियो रिसिवर यूनिट व बैटरी व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लेते थे। अभियुक्तो से पूछताछ पर मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त सुहैल कुरेशी, शहनवाज उर्फ सोनू, शानू मलिक उर्फ शान मोहम्मद, शानू व इमरान मलिक मोबाइल टावरो से आर.आर.यू. चोरी करने का अपराध कारित करते थे। चोरी हेतु आने-जाने के लिए इनका साथी सलमान अपनी गाड़ी लेकर साथ जाता था तथा मोबाइल टावरो की रैकी का कार्य सलमान, सलीम व अब्बास मलिक उर्फ बाशू द्वारा किया जाता था। सलीम मलिक व अब्बास मलिक उर्फ बाशू उपरोक्त के द्वारा पूरे गिरोह को सक्रिय रुप से जारी रखने हेतु आर्थिक मदद की जाती थी तथा चोरी के समस्त माल को मुनाफे के साथ आगे लोगो को बेचते थे। इस गैंग का लीडर अब्बाश मलिक उर्फ बाशू है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सलीम मलिक पुत्र शब्बीर मलिक निवासी मलिक नगर, मुरादनगर, थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष शिक्षा कक्षा-8
2. अब्बास मलिक उर्फ बाशू पुत्र अलीहसन निवासी रेवडी, थाना मुरादनगर, गाजियाबाद वर्तमान पता मलिक नगर, कस्बा व थाना मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र करीब 57 वर्ष शिक्षा कक्षा-8

3. सुहैल कुरैशी पुत्र शानू निवासी ग्राम भडल, थाना दोघट, जिला बागपत उम्र करीब 25 वर्ष शिक्षा कक्षा-7
4. शहनवाज उर्फ सोनू पुत्र जफर निवासी गीतापुरी भूड थाना व कस्बा खतौली, जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 32 वर्ष शिक्षा कक्षा-8
5. शानू मलिक पुत्र शब्बीर मलिक निवासी मलिक नगर, कस्बा व थाना मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष शिक्षा कक्षा-6
6. शानू पुत्र इमामूद्दीन निवासी मलिक नगर, कस्बा व थाना मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष कक्षा-2
7. इमरान मलिक पुत्र रहीशुद्दीन निवासी मलिक नगर, कस्बा व थाना मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष शिक्षा कक्षा-7
8. सलमान कुरैशी पुत्र गफ्फार कुरैशी निवासी रावली रोड, धोबियान मोहल्ला थाना व कस्बा मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष शिक्षा कक्षा-7

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 254/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 408/2024 धारा 303 बीएनएस थाना गदपुरी, जिला पलवल हरियाणा।
3. मु0अ0सं0 80005081/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना गांधीनगर क्राईम ब्रांच दिल्ली।
4. मु0अ0सं0 816372/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना नरैला इंडस्ट्रियल एरिया आउटर नार्थ दिल्ली।
5. मु0अ0सं0 170/2019 धारा 307 भादवि थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 173/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 428/2019 धारा 379/411 भादवि थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण--

1. 35 आरआरयू (कीमत करीब 3.5 करोड़)
2. चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण (एक बडी सडासी, एक लाल टूल बॉक्स व तीन पाना)
3. घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार रजिस्ट्रेशन नं0 डीएल 9 सी.ए.जी 6113
4. 4850 रुपये नकद

2.थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा गांजा तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 250 ग्राम गांजा व गांजा बेचकर प्राप्त किये 1790 रुपए नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.05.2025 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग की सहायता से गांजा तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त मोनिस खान पुत्र मौ0 शफीक को छिजारसी अंडरपास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 250 ग्राम गांजा व गांजा बेचकर प्राप्त किये 1790 रुपए नगद बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. मोनिस खान पुत्र मौ0 शफीक निवासी ग्राम हयातनगर, मौहल्ला फूलबाग, थाना हयातनगर जिला सम्भल वर्तमान पता चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 19 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 202/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा।
2.

बरामदगी का विवरण--

1. 01 किलो 250 ग्राम गांजा
2. 1790 रुपए नगद (गांजा बेचने से कमाए गए)